

कार्यालय जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक : F.18(1)म.अ./OSC/सखी/2016/ 1677

दिनांक : 14-09-2018

खुली निविदा सूचना: 03/2018-19/


राजकीय बांगड अस्पताल, पाली में स्थित सखी : वन स्टॉप सेन्टर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष के लिये मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिये पंजीकृत गैर शासकीय संस्थाओं/सेवा प्रदाता संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन प्रपत्र, पात्रता की शर्तें तथा अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट wcd.rajasthan.gov.in, <http://sppp.raj.nic.in> से डाउनलोड अथवा इस कार्यालय से कय किए जाकर सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, (प्रथम तल रूम नं. 118, कलेक्ट्रेट परिसर) पाली के कार्यालय में दिनांक 01.10.2018 सायं: 05:00 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं। सम्पर्क नं: 02932-225907

क्रम संख्या	मानव संसाधन का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	निविदा प्रपत्र बेचने की अवधि	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र को खोलने की तिथि
01.	1. केन्द्र प्रबन्धक-01 (महिला) 2. केस वर्कर-03(महिला) 3. आईटी वर्कर-03 4. हेल्पर-03 5. सुरक्षाकर्मी - 03	36.00 लाख रुपये	72,000 रुपये	1000.00 रुपये	14.09.2018 से 01.10.2018 को कार्यालय समय में सायं 03:00 बजे तक	01.10.2018 सायं 05.00 बजे तक	02.10.2018 तक प्रातः 11:00 बजे

निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा के साथ अमानत राशि का ड्राफ्ट/बैंकर चैक सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, पाली के नाम देय संलग्न करना होगा। सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

<http://sppp.raj.nic.in> UBN **WMP1819 SLOB 00042**

(WMP1819 SLOB 00042)


(सुधीर कुमार शर्मा)


जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक : F.18(1)म.अ./OSC/ सखी/2016/1678-02

दिनांक : 14.9.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- श्रीमान शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- श्रीमान संभागीय आयुक्त, कार्यालय जोधपुर/जयपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर के नोटिस बोर्ड पर चर्या करने हेतु।
- श्रीमान आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
- श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को विज्ञप्ति की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति भेजकर अनुरोध है कि उक्त खुली निविदा बोली एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार राज्य हित में को प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
- उप निदेशक (एसीपी) महिला अधिकारिता राज. जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि विज्ञप्ति एवं दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।


(भागीरथ)

सहायक निदेशक

महिला अधिकारिता विभाग, पाली